[3/3/2023]

प्रश्न सं. [क्र. 1448]

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1351का उत्तर

स क्रं.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सही है कि शासन ने गरीबी रेखा के कूपन बनाना तथा सामान्य कूपन बनाना, कूपन में नये नाम बढ़ाना इत्यादि पर रोक लगा दी है?यदि हां तो कारण बतावें। यदि नहीं तो वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक प्रदेश में किस-किस जिले में गरीबी रेखा के कितने कूपन बने तथा सामान्य कूपन कितने बने तथा कूपन में कितने नाम बढ़े तथा घटे?	जी हॉ। मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 257 भोपाल, दिनांक 7 जून 2017 द्वारा लोक सेवाओं के प्रदान की जानकारी अधिनियम 2010 में संशोधन कर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवायें क्रमांक 9.1 से 9.4 में बीपीएल/एपीएल राशन कार्ड जारी होने की सुविधाओं को हटाकर नवीन पात्रता पर्ची जारी होना, नाम सुधार, नाम जोडना, नाम काटना, पता परिवर्तन एवं स्थानांतर (मध्यप्रदेश के अंदर) की सुविधाओं को जोड़ा गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 4 (1) के अनुसार भौतिक अथवा इलेक्ट्रानिक रूप में राशन कार्ड जारी करने का प्रावधान है। हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ ऑनलाईन जारी पात्रता पर्ची (ई-राशन कार्ड) के द्वारा प्रदाय किया जा रहा हैं। अतः मैन्युअली राशन कार्ड जारी करना अप्रासंगिक हो गया है। जिस कारण से दिनांक 15.01.2021 को समस्त कलेक्टर्स को राशन कार्ड/डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी नही करने के लिये निर्देश दिये गये थें। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता।
(ख)	क्या लीज रेंट लगभग 100 रू-150 रू. जमा करने पर विलंब होने पर ब्याज के साथ दस हजार रू. पेनल्टी लेने का संपत्ति अधिनियम 2016 में प्रावधान है यह पेनल्टी राशि कैसे कानूनन उचित है किस-किस नगरीय निकाय में लीज रेंट जमा करने पर विलंब पर रू. 10000/–पेनल्टी ली जा रही है?	जी नही। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नही होता।
(ग)	अमृत परियोजना तथा अमृत 2 परियोजना हेतु किस-किस नगरीय निकाय को कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के लिये दी गई ?निकाय की राशि किस प्रकार तय की गई ?	अमृत मिशन अंतर्गत राज्य वार्षिक कार्य योजना (SAAP) में स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु परियोजनाओं की प्रगति एवं निकायों की मांग के आधार पर राशि/लिमिट जारी की गई हैं। अमृत-2.0 योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों में नियुक्त डी.पी.आर. कंसल्टेंट को भुगतान हेतु लिमिट, उपलब्ध कराई गई हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अनुसार हैं।
(घ)	क्या नगरीय क्षेत्र में एक भूमि विकसित प्लाट के दो टुकड़ों में विक्रय कर देने पर नगरीय निकाय में नामांतरण नहीं किया जाताहै?क्या यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया जा रहा है?यदि हां तो शासन लाखो मध्यमवर्गीय परिवारों की इस समस्या का समाधान क्यों नहीं करता?	जी नही।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

(गजेन्द्र सिंह)
अपर आयुक्त